

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 21 जनवरी, 2010

संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/पीपीटी/इसराना/सी०ए०/2010/200.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे सलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

## अनुसूची

गांव इसराना (हदबस्त संख्या—66/67), जिला पानीपत के नियंत्रित क्षेत्र के इर्द-गिर्द की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी० टी० पी० (पीएन) 348/08, दिनांक 10 मार्च, 2008 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव इसराना (हदबस्त संख्या—66/67) की आयत संख्या 25 का उत्तर-पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर गांव इसराना (हदबस्त संख्या—66/67) की आयत संख्या 25, 24, 23, 22, 21 और 20 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ है। तत्पश्चात् रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ओर जोकि हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 10/डीपी-82/3163, दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा पहले से ही घोषित पानीपत की नियंत्रित क्षेत्र सीमा-II की दक्षिणी सीमा के साथ मिलती है। तत्पश्चात् इसी नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि नाला हरतारी की उत्तरी सीमा का मिलन बिन्दु है।

पूर्व: तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर गांव हरतारी नाले की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गांव बलाना (हदबस्त संख्या—71) की आयत संख्या 84 की दक्षिण-पश्चिम सीमा तक है। तत्पश्चात् गांव बलाना-मण्डी की गांव लिंक सड़क के पूर्व-पश्चिम के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव मण्डी (हदबस्त संख्या—92) की आयत संख्या 56 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव मण्डी (हदबस्त संख्या—92) की आयत संख्या 56, 55, 54, 53 तथा 52, गांव बन्ध (हदबस्त संख्या—87) की आयत संख्या 30, 31, 32, 33, 34, 35 तथा 36 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् इसराना डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा की पूर्व-दक्षिणी तरफ के साथ-साथ जहां यह जिला पानीपत की पश्चिमी जिला सीमा के साथ मिलती है। तत्पश्चात् जिला पानीपत की पश्चिमी जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव शाहपुर (हदबस्त संख्या—90) की आयत संख्या 1 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन की दक्षिण-पूर्व सीमा के साथ-साथ गांव इसराना (हदबस्त संख्या—66/67) की आयत संख्या 110 की सीमा तक, तत्पश्चात् गांव इसराना (हदबस्त संख्या—66/67) की आयत संख्या 110, 97, 74, 61, 36 तथा 25 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० डेसी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

## Notification

The 21 January, 2010

**No. CCP(NCR) PPT/ ISRANA/CA/2010/200.**—Whereas in the opinion of the Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

## Schedule

Schedule of boundaries of controlled area around village **Israna** (Hadbast number 66/67) District Panipat to be read with Drawing No. D.T.P. (PN) 348/08, dated the 10th March, 2008.

- North:** Starting from Point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle number 25 of village Israna (Hadbast number 66/67). Thence towards north-east along the northern boundary of rectangle number 25, 24, 23, 22, 21 and 20 of village Israna (Hadbast number 66/67). Thence along the south-east side of Rohtak-Panipat railway line where it meets with southern side of controlled area boundary-II of Panipat which is already declared in Haryana Government Gazette vide notification No. 10DP-82/3163 dated 23rd February, 1982. Thence along the same controlled area boundary-II of Panipat upto point 'B' i.e. meeting point of northern side of drain Hartari.
- East:** Thence moving from point 'B' towards south-west along the northern-western side of Hartari drain upto south-west boundary of rectangle number 84 of village Balana (Hadbast number 71). Thence along the east-south side of village link road of village Balana-Mandi upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 56 of village Mandi (Hadbast number 92).
- South:** Thence moving from point 'C' towards west along the southern boundaries of rectangle number 56, 55, 54, 53 and 52 of village Mandi (Hadbast number 92), rectangle number 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 36 of village Bandh (Hadbast number 87), thence along the east-south side of Israna Distributory Brand, where it meets with the western district boundary of district Panipat. Thence along the western district boundary of district Panipat upto point 'D' i.e. north-west corner of rectangle number 1 of village Shahpur (Hadbast number 90).
- West:** Thence moving from point 'D' towards north along the south-east boundary of Rohtak-Panipat Railway line upto rectangle number 110 of village Israna (Hadbast number 66/67). Thence along the western boundary of rectangle number 110, 97, 74, 61, 36 and 25 of village Israna (Hadbast number 66/67) upto point 'A' i.e. the point of start.

D. S. DHESI,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.